न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 171/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी

दायरा दिनांक 23.11.2020

किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

जरिये ग्रामवासीगण ग्राम अरयाली, अरनेठा तहसील नैंनवा जिला बूंदी राज0

1. छोटूलाल आत्मज कालूलाल जाति गुर्जर निवासी अरियाली तहसील नैनवा जिला बूंदी राज0।
2. शोजीलाल आत्मज जगदीश जाति गुर्जर निवासी अरियाली तहसील नैंनवा जिला बूंदी राज0।
3 शंकरलाल आत्मज बदरीलाल जाति गुर्जर निवासी अरियाली तहसील नैंनवा जिला बूंदी राज0।
4 रूपसिंह आत्मज भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी अरियाली तह0 नैनवा जिला बूंदी राज0।
5 सुखपाल आत्मज लोडक्या जाति गुर्जर निवासी अरनेठा तह0 नैनवा जिला बूंदी राज0।
6 कन्हैयालाल आत्मज रामफूल जाति गुर्जर नि0 अरनेठा तहसील नैनवा जिला बूंदी राज0।
7 निमलाल आत्मज छीतर जाति गुर्जर निवासी अरनेठा तहसील नैनवा जिला बूंदी राज0।
8 रामजस आत्मज जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी अरियाली तहसील नैनवा जिला बूंदी राज0।
9 श्योंदान आत्मज केसरा जाति गुर्जर निवासी अरियाली तहसील नैनवा जिला बूंदी राज0।
10 रामनिवास आत्मज कल्याण जाति गुर्जर निवासी अरनेठा तहसील नैंनवां जिला बूंदी राज0।

.....अपीलार्थीगण.

बनाम

1. नीलू पत्नी महावीर मीणा निवासी मोतीपुरा तहसील नैंनवा जिला बूंन्दी राज0।
2 सरकार जरिये तहसीलदार नैंनवा जिला बूंदी राज0।

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री महेश योगी अभिभाषक–अपीलार्थी
श्री हेमेन्द्रसिंह आसावत अभिभाषक–रेस्पो0 क्रम–1

:: निर्णय ::

दिनांक 18.10.2021

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, बूंदी ने प्रकरण सं0 127/99 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 उनवान सरकार जरिये तहसीलदार नैंनवा बनाम नीलू पत्नि महावीर मीणा नि0 मोतीपुरा तह0 नैंनवा मे पारित निर्णय दिनांक 17.9.2001 की अप्रसन्नता से प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत रेस्पो0 के विरूद्ध इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के सबंध में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन परामर्श दात्री समिति द्वारा मुकाम करवर पर दिनांक 5.7.1999 को रंगलाल आ0 प्रभुलाल जाति कुम्हार निवासी पीपलिया को भूमि खसरा संख्या 2970 रकबा 4 बीघा, 2988 रकबा 4 बीघा, 3013 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा ग्राम करवर के किये गये आवंटन को निरस्त कराने हेतु तहसीलदार नैनवा द्वारा प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 17.9.2001 से खारिज किया गया। जिससे अपीलांट्स ने एग्रीविद्व व्यक्ति होना वर्णित करते हुए प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ पेश कर वर्णित किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना वास्तविक स्थिति से परे जाकर सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र निरस्त कर वैधानिक त्रुटि की है। वादग्रस्त आराजी ग्राम

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अरयाली की पहाडी के तलहटी पर बजड भूमि है जिसमें वन विभाग द्वारा जगह–जगह प्लानटेशन किया हुआ है। पिछले 30 वर्षो से अधिक समय से उक्त आराजी पर कृषि कार्य नही हुआ। मवेशी व गौशाला के जानवर उक्त आराजी पर विचरण करते आ रहे है। भूमि के चारो ओर वन विभाग की खाई बनी हुई है। मौके पर भूमि काबिल काश्त नही है। आवंटी रेस्पो0 क्रम 1 ग्राम मोतीपुरा की निवासनी है। आवंटन तथ्यो को छिपाते हुए गलत तरीके से आवंटन ग्राम करवर मे आवंटन कराया है। वादग्रस्त आराजी आवंटी के गांव मोतीपुरा से लगभग 30–35 किमी दूर ग्राम करवर में स्थित है। अतः आवंटन नियमो की अवहेलना होने से आवंटी का आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य है। आवंटन नियमो के तहत् प्रथम तीन वर्ष उक्त आराजी पर कृषि कार्य किया जाना आवश्यक है। आवंटी द्वारा सन् 1999 से 2002 तक कृषि कार्य किये जाने से सबंधित कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नही किया है ओर ना ही आवंटी कभी काबिज काश्त रहा है। तहसीलदार नैंनवा ने रेस्पो0 क्रम–1 भूमिहीन नही होना, सद्भाविक कृषक नही है, बटावदी की निवासनी नही है, एंव भूमि आवटन गलत सूचना देकर प्राप्त किया जाना अंकित करते हुये आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने 15 बीघा भूमि से अधिक भूमि आवंटन होना मानते हुये तहसीलदार नैनवा द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनों का पूर्ण विवेचन किये बिना ही खारिज करने मे त्रुटि की है। आवंटन नियम 1970 के नियम 20 का पूर्ण रूप से उल्लधन हुआ है क्योंकि आवंटन की सीमा से अधिक भूमि का आवंटन नही किया जा सकता। आवंटन आदेश में हल्का पटवारी की रिपोर्ट त्रृटिपूर्ण है। आवंटन नियम 11(2) का उल्लंघन हुआ है। गलत तथ्यो व दुरूपदेशन से करवाया गया आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य होता है। आवंटी कोई लाभ प्राप्त नही कर सकता। आवंटन नियमो के विपरीत आवंटन को कभी भी निरस्त करवाया जा सकता है जिसमें किसी प्रकार की कानूनन बाध्यता नही है। आवंटी ने गुपचुप तरीके से सरकार का प्रार्थना पत्र खारिज होते ही उक्त आराजी को अपनी गैरखातेदारी में दर्ज करवा लिया और फिर खातेदारी प्राप्त कर ली। आवंटी ने उक्त आराजी को बैचान करने पर आमादा है जिससे पूर्णतया जाहिर है कि आवंटन धोखे से कराया गया। आवंटी द्वारा मौके पर जाकर जे.सी.बी. से खुदाई करने पर ग्रामवासियो को उक्त आवंटन के सबंध में पूर्ण जानकारी हुई। उसके बाद ग्रामवासियो ने भूमि से संबधित आवश्यक दस्तावेजो की नकले प्राप्त कर अपील हेतु विधिक सलाह ली गई किन्तु कोविड–19 माहमारी के चले न्यायालय बन्द होने एवं न्यायिक कार्य स्थगित होने से न्यायालय खुलते ही अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील स्वीकार की जाकर आवंटन आदेश दिनांक 5.7.1999 व अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0) बून्दी द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 17.9.2001 निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि आवंटी रेस्पो. क्रम 1 बाहर ग्राम, मोतीपुरा तह0 नैनवा की निवासनी होने के आधार पर आवंटन निरस्त होने योग्य है। वादग्रस्त आराजी ग्राम करवर की पहाडी की तलहटी पर बजड भूमि है जिसमें वन विभाग द्वारा जगह–जगह प्लांटेशन किया हुआ है। 30 वर्षो से भी अधिक समय से कभी कोई कृषि कार्य नही हुआ। गांव के मवेशी व गौशाला के जानवरो के विचरण एवं चराई के काम आती है। मौके पर भूमि काबिज काश्त नही है। ऐसी

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

स्थिति में भूमि का आवंटन नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी व साक्ष्य का अवलोकन किये बिना मौके की स्थिति के परे जाकर तहसीलदार नैंनवा द्वारा आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जैरअपील निर्णय दिनांक 17.9.2001 से निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है। बहस में यह भी बताया कि आवंटन नियमो के तहत् प्रथम 3 वर्ष में आराजी पर कृषि कार्य किया जाना आवश्यक है। आवंटी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नही किया। आवंटन आदेश के सबंध में हल्का पटवारी की रिपोर्ट भी त्रृटिपूर्ण है। आवंटन नियम 11(2) का पूर्णरूप से उल्लंघन हुआ है। गलत तथ्यो के आधार पर किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य होता है। आवंटी कोई लाभ प्राप्त नही कर सकता। नियमो के विपरीत किये गये आवंटन को कभी भी निरस्त करवाया जा सकता है। जिसमें किसी प्रकार की कानूनन बाध्यता नही है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के बाद आवंटी द्वारा उक्त आराजी को गैरखातेदारी में दर्ज करवा लिया तथा उसके उपरांत खातेदारी प्राप्त कर आराजी को बेचान करने पर आमादा है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2021 वो0 1 पेज 124, आरआरटी 2015 वो0 1 पेज 534 आरआरटी 2002 वो0 1 पेज 162 एस.सी. आरआरटी 2002 वो. 1 पेज 90, आरआरटी 2016–17 सुप्रीम, आरआरडी 2001 पेज 142 , आरआरटी 2021 वो0 1 पेज 371, आरआरडी 2015 पेज 174 एच.सी., आरआरडी 1990 पेज 465 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये जाहिर किया कि आवंटी द्वारा मौके पर जाकर जे.सी.बी. से खुदाई करने पर ग्रामवासियो को जानकारी होने पर व्यथित/आवश्यक पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 सी. पी.सी. के साथ अपील की अनुमति के लिये प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आवंटन आदेश दिनांक 05.07.1999 व अति0 जिला कलक्टर बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.9.2001 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 1 ने बहस मे बताया कि आवंटन परामर्श दात्री समिति द्वारा नियमानुसार आवंटन किया जाकर कब्जा संभलाया गया है। कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन के नियम, 14(4) नियम 1970 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को हुऐ आवंटन को तभी निरस्त किया जा सकता है जबकि धोखाधडी, गलत तथ्य प्रस्तुत कर के कराया गया हो। बवक्त आवंटन आवंटी द्वारा कोई तथ्य नही छिपाया गये है। तह0 नैनवा द्वारा जिन आधार पर आवंटी का आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जो सही नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने तह0 द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र को जैरअपील निर्णय से खारिज किया है। बहस में यह भी बताया कि आवंटी उसी तहसील व पंचायत समिति क्षेत्र का निवासी है। बवक्त आवंटन वादग्रस्त कृषि भूमि के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। अन्य किसी भी व्यक्ति ने उक्त कृषि भूमि के लिये आवेदन नही किया। आवंटन की पात्रता होने से आवंटन परामर्श दात्री समिति ने आवंटन किया है। रेस्पो. क्रम 1 सदभावी काश्तकार है एंव आवंटन भूमि पर लगातार काश्त करता चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में समुचित तथ्य का अवलोकन करते हुए दिनांक 17.9.2001 को जैरअपील निर्णय पारित कर तहसीलदार (लेण्ड होल्डर) नैनवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक व तथ्यात्मक दोष नही है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यथित/आवश्यक पक्षकार नही है। अतः प्रथम दृष्टया ही प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी.खारिज किया जाकर तद्नुसार अपील अपीलांट खारिज की जाने का अनुरोध किया।

पक्षागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

5. हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलांट द्वारा जेरअपील आदेश के विरूद्ध अपील व्यथित पक्षकार होना प्रकट करते हुये प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ प्रस्तुत की है। अतः अपील का गुणावगुण पर विचारण करने से पूर्व यह विनिश्चिय किया जाना है कि आया अपीलांट प्रश्नगत अपील प्रकरण मे व्यथित पक्षकार है अथवा नही। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी मे वर्णित किया है कि ग्रामवासीयान/अपीलांट्स के वादग्रस्त आराजी पर मवेशी चरते है इसलिये वह प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार है उक्त भूमि का आवंटन तथ्यों को छुपाकर करवाया गया है ऐसे आवंटन को कभी भी निरस्त कराया जा सकता है। ग्रामवासी एग्रीव्ड व्यक्ति है अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर न्यायाहित मे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव जेरअपील निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार नैंनवा (लेण्ड होल्डर) द्वारा दिनांक 5.7.99 को एडवाईजरी कमेटी द्वारा रेस्पो0 कम–1 को ग्राम करवर की वादग्रस्त भूमि के आवंटन को रेस्पो0 कम–1 भूमिहीन नही होना, सद्भाविक कृषक नही है, बटावदी की निवासनी नही है, एंव भूमि आंवटन गलत सूचना देकर प्राप्त किया जाना अंकित करते हुये आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे उक्त तथ्यों का समुचित परीक्षण करते हुये आवंटी/रेस्पो0 कम–1 को किया गया आवंटन राज0 सरकार के परिपत्र दिनांक 15.9.2001 एंव राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत वैधानिक मानते हुये आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 5.7.1999 को रेस्पो0 कम–1 को किये गये आवंटन को बहाल रखते हुये तहसीलदार नैंनवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से दिनांक 17.9.2001 को खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश को अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि मे उनके/ग्रामवासीयान के मवेशी चरने के आधार पर एग्रीवड पर्सन होना वर्णित करते हुये अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ लगभग 20 वर्ष बाद दिनांक 14.10.2020 को न्यायालय हाजा मे पेश की गई है जो अवधि बाधित है। चूंकि भूमि का तहसीलदार भू स्वामी होता है तहसीलदार नैंनवा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे आवंटी भूमिहीन नही होना, सद्भाविक कृषक नही है, बटावदी की निवासनी नही है, एंव भूमि आंवटन गलत सूचना देकर प्राप्त किया जाना अंकित करते हुये आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिपत्र/नियमों के परिपेक्ष्य मे समुचित परीक्षण कर जेरअपील निर्णय दिनांक 17.9.2001 से खारिज किया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के उक्त जेरअपील निर्णय तथा आंवटन सलाहकार समिति द्वारा रेस्पो0 कम–1 (आवंटी) को किये गये वादग्रस्त भूमि के आवंटन के संबध मे अपीलांट्स एग्रीव्ड पर्सन होना साबित नही होने से अपीलांट्स को वादग्रस्त भूमि का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किये गये, आवंटन को निरस्त कराने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होता है। लिहाजा उपरोक्त विवेचन अनुसार हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलांट्स एग्रीव्ड पर्सन होना साबित नही होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता आधारहीन होने से खारिज किया जाकर तदानुसार अपील अपीलांट पोषणीय नही होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा